

SUMMARU TRIAL UNDER SECTION 263 THE CRIMINAL PROCEDURE CODE 1998
IN THE COURT OF A.K. Gupta, JMFC Gohad Dist Bhind (M.P.)

Case No. 175/17

Complaint or report made on

Name and address of the Complainant.....

श्री. क. गुप्ता
वायिक नजिस्ट प्रथम बरत
साबकारी विभाग
जिला - भिन्ड

Name, parentage, caste and address of accused

कुलकर्णी ६/० जागीर सिंह सिमर
उम - ३५ नि. चक्र तैकुडा
मालनपुर

The offence, complainant of, and date of, its alleged commission

आप पर आरोप है कि दिनांक 23/8/17 मुकाम
शिवापरी चक्र तैकुडा मालनपुर बिना वैध अनुज्ञप्ति के अपने
आधिपत्य में ०२ लीटर/पाव/बोतल कच्ची शराब विक्रय/परिवहन हेतु रखी।

ऐसा करके आपने आबकारी अधि० १९१५ की धारा ३४-१ (क) के अधीन दण्डनीय
अपराध कारित किया।

क्या आपको उक्त अपराध स्वीकार है या प्रतिरक्षा चाहते हो।

The plea of the accused and his examination (if any)

अपराध स्वीकार है। न्यून दण्ड से दण्डित करने का निवेदन है।

कुलकर्णी सिंह

श्री. क. गुप्ता
वायिक नजिस्ट प्रथम बरत
जिला - भिन्ड

The offence proved, if any and in case under clause (d) clause (f) clause (g) of sub section 263 the value of the property in respect of which the offence has been committed.